छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | दशम् सत्र | अंक-1

नवा रायपुर अटल नगर, सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2026

(आषाढ़ 22, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राष्ट्रगान/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"**, राष्ट्रगान **"जन-गण-मन"** एवं राज्यगीत **"अरपा पइरी के धार"** का गायन किया गया ।

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय), नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत), संस्कृति मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल), श्री भूपेश बघेल, सदस्य, स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव), सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, किरण देव, अनुज शर्मा, श्रीमती अनिला भेंड़िया, सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, रिकेश सेन, सदस्य, संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

पश्चात् सदन द्वारा कुछ देर मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.40 बजे स्थगित की जाकर 11.47 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 (कुल 02) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 75 तारांकित एवं 92 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25,

(2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-2025,

(3) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 120/सी.एस.ई.आर.सी./2026, दिनांक 18 मार्च, 2026 तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक 121/सी.एस.ई.आर.सी./2026, दिनांक 18 मार्च, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्त के लिये रूपरेखा) विनियम, 2026,

(4) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 36 सन् 2025) की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक RULE-503/25/2026-SECTION (MGNREGA), दिनांक 25 जून, 2026 द्वारा अधिसूचित "विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन(ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (विकसित भारत जी राम जी) योजना, छत्तीसगढ़" तथा

(5) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुड्स एंड सर्विसिस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25,

पटल पर रखे ।

5. फरवरी-मार्च, 2026 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2026 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

6. नियम 267 "क" के अधीन फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267 "क" के अधीन फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- "छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26/05/2026 को संदेश के साथ लौटाया गया है। संदेश इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा "छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" पारित कर संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत अनुमति एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रपति जी के विचार हेतु आरक्षित किया गया था।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्र कमांक F.No.17/62/2017-Judl.&PP, दिनांक 19.03.2026 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय को प्राप्त हुआ

है, कि विधेयक की तीन प्रमाणिक प्रतियां राज्य सरकार द्वारा वापस लिये जाने के कारण एतद् द्वारा मूलतः वापस की जा रही है।

अत: विधेयक पर पुनर्विचार हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार "छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" लौटाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा "छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)" विधान सभा द्वारा यथापारित रूप में तथा माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया।

8. माननीय राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा षष्ठम् विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2026 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में पारित कुल 8 विधेयकों में से सभी 8 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री विक्रम उसेण्डी

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) सुश्री लता उसेण्डी

(4) श्री लखेश्वर बघेल

(5) श्री दलेश्वर साहू

(6) श्री प्रबोध मिंज

सोमवार, 13 जुलाई, 2026

10. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2025 के लिए "उत्कृष्ट विधायक" हेतु सत्ता पक्ष से श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य एवं प्रतिपक्ष से श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य का चयन किया गया है।

"उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार" हेतु दैनिक समाचार पत्र "पत्रिका" के संवाददाता श्री संतराम साहू तथा "उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मिडिया रिपोर्टर" हेतु IBC24 के रिपोर्टर श्री सौरभ सिंह परिहार एवं डॉ.राजेश राज का चयन संयुक्त रूप से किया गया है।

11. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

(1) विधान सभा परिसर स्थित "नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण" तथा "उत्कृष्ट विधायक", "उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार" एवं "उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मिडिया रिपोर्टर" को पुरस्कृत करने हेतु "उत्कृष्टता अलंकरण समारोह" माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में विधान सभा परिसर स्थित प्रेक्षागृह में बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2026 को सायं 5.30 बजे से आयोजित किया गया है।

"उत्कृष्टता अलंकरण समारोह" पश्चात् संस्कृति विभाग के सौजन्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं पश्चात् रात्रि भोज आयोजित है।

आप समस्त माननीय सदस्यगण एवं पत्रकारगण उपरोक्त समस्त कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित हैं।

(2) कल दिनांक 14 जुलाई, 2026 को दोपहर 1.30 बजे, विधान सभा परिसर में वन विभाग की ओर से "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कष्ट करें।

12. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर की दान राशि एवं मूल्यवान सामग्रियों की चोरी, लूट की घटना का उल्लेख करते हुए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

सोमवार, 13 जुलाई, 2026

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने इसे राज्य के बाहर का विषय बताते हुए इस पर आपत्ति की।

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष द्वारा नारेबाजी की गयी।)

माननीय अध्यक्ष ने राज्य का विषय नहीं होने के कारण स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी एवं इस पर की गई चर्चा को रिकार्ड में नहीं लेने के निर्देश भी दिये।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.28 बजे स्थगित की जाकर 12.40 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

13. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2026 में लिए गए निर्णय अनुसार विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय का निर्धारण करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है -:

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1)	छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026	**30 मिनट**
(2)	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026	**30 मिनट**

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. सदन की कार्यवाही के प्रकाशन/प्रसारण संबंधी निर्देश

माननीय अध्यक्ष ने प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि-सभा की कार्यवाहियों के संबंध में सूचनाओं के प्रचार-प्रसार व समाचार के प्रसारण के पूर्व

आसंदी द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए तथा सभा की कार्यवाही की शोधित प्रति और संक्षिप्त कार्य विवरण से पुष्टि उपरांत प्रचारित और प्रसारित करें।

15. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने पुन: अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर की दान राशि एवं मूल्यवान सामग्रियों की चोरी, लूट की घटना का उल्लेख करते हुए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कहा कि आसंदी की व्यवस्था के बाद भी पुन: उसी मामले को उठाना उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष ने भी आग्रह किया कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना के विषय में मेरे द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है, अभी ध्यानाकर्षण पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। अत: कार्यवाही को चलाने में सहयोग करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये।)

माननीय अध्यक्ष ने आज की कार्यसूची में शामिल ध्यानाकर्षण सूचनाओं को आगामी दिवस में लिए जाने की घोषणा करते हुए, सभा की कार्यवाही दिन भर के लिये स्थगित की।

अपराह्न 12.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 23, शक संवत् 1948) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा